आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
06-12-2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद 221/97–98** **साय पाहन** **बनाम्** **खैता महतो एवं अन्य** **आदेश** एस०ए०आर० पुनरीक्षण 20,21/97 साय पाहन के द्वारा खैता महतो एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया गया था जिसमें उपायुक्त, रांची द्वार एस०ए०आर० अपील 72R15/94-95 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। आवेदक तथा विपक्षियों के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों को प्रश्नगत वाद में प्रतिस्थापित किया जा चुका है। 1998 में यह वाद अंगीकृत किया गया है, तथा पक्षकारों के अनुपस्थिति अथवा न्यायालीय प्रक्रिया में उक्त वाद में सुनवाई जारी रही। विपक्षी तथा आवेदकों के प्रतिस्थापन भी किये गये। वर्ष 2006 से उभय पक्षों के अनुपस्थिति के कारण दिनांक 23.07.2007 को वाद को खारिज कर दिया गया, जिसके पश्चात 25.09.2007 को वाद को पुनः स्थापित किया गया। इसके पश्चात् भी विपक्षी अथवा आवेदक के अनुपस्थिति के कारण वाद की सुनवाई अधूरी रही। दिनांक 11.04.2017 को उभय पक्षों के द्वारा सुनवाई के पश्चात् वाद आदेशार्थ रखा गया। किंतु पीठासीन पदाधिकारी के स्थानांतरण के कारण आदेश पारित नही किया गया। पुनः वाद की सुनवाई जारी रही। इस प्रकार इस वाद में दो बार सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित नही किया जा सका। उभय पक्षों के द्वारा प्रश्नगत् वाद में लिखित बहस दायर किया जा चुका है। दिनांक 16.11.2021 को विपक्षी पुन अनुपस्थित थे। अततः विपक्षी के तरफ से भी लिखित बहस दायर किया गया। आवेदक का कथन है कि मूल आवेदक साय पाहन एवं मादी पाहन प्रश्नगत भूमि जो तिरिल खाता नं0 81, प्लॉट नं0 105, रकबा 0.68 एकड़ है, के दखलकार रहे है। रैयत द्वारा उक्त भूमि को कभी भी इस्तीफा नही दिया गया था तथा विपक्षियों द्वारा मूल रैयत को अवैध तरीके से वेदखल किया गया है। इसी कारण भी भू–वापसी वाद 290/92–93 दायर किया गया जिसे विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया। उक्त	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	आदेश के विरूद्ध उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया। आवेदक का नाम अभी भी सर्वे इन्द्रांजों में देखा जा सकता है तथा कथित इस्तीफानामा गलत एवं धोखाधड़ी से की गई कार्रवाई है। विपक्षियों के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर 1965 के निबंधित केवाला के आधार पर दखल किया गया है तथा 1970 में उक्त भूमि पर लॉज का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि की रसीद आवेदकों के नाम से कट रही है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित कोई रसीद जमीनदारी उन्मूलन के पश्चात विपक्षियों के पास उपलब्ध नही है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त इस्तीफानामा पर कार्रवाई नही की गई है। माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुसूचित जनजाति के अवैध हस्तांतरण के बिंदु पर स्पष्ट आदेश पारित किये गये है, अतः उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति को वापस की जानी चाहिए। विपक्षियों के तरफ से कहा गया है कि प्रश्नगत् भूमि आवेदक के पिता मादी पाहन के नाम से दर्ज थी तथा आवेदक साय पाहन द्वारा भू–वापसी का आवेदन 1992 में किया गया है। प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत द्वार निबंधित इस्तीफानामा से पूर्व जमीनदार को दे दी गई। उक्त जमीनदार द्वारा 1965 में विपक्षियों के पूर्वजों को प्रश्नगत भूमि को निबंधित केवाला से बिक्री कर दी गई। उक्त तिथि से ही विपक्षी प्रश्नगत भूमि के दखलकार है तथा भूमि का नामांतरण कराकर सरकार को लगान भी दे रहे है इस प्रकार यह भू–वापसी आवेदन कालबाधित है। उक्त भूमि पर लॉज का निर्माण किया गया है। अतः यह खेती योग्य भी नही है। मूल रैयत द्वारा इस्तीफा के पश्चात् 48 वर्ष के अन्तराल से भू–वापसी का दावा किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए आवेदक के भू–वापसी आवेदन को रद्द किया जा चुका है। अतः पुनरीक्षण के क्रम में, किसी नये तथ्य के बगैर पुनः उसी बिन्दु पर विचार किया जाना पूर्णत अनुचित है। आवेदकों को प्रश्नगत निबंधित इस्तीफानामा एवं निबंधित केवाला को सक्षम व्यवहार न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नही किया गया है। उभय पक्षों के बहस तथा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होतो है कि खतियानी रैयत द्वारा एक निबंधित इस्तीफानामा से प्रश्नगत भूमि को जमीनदार को दे दिया गया। किंतु जमीनदार द्वारा उक्त भूमि को अपने खास दखल में लिया गया अथवा अपने रिटर्न में किया गया, इस बिन्दु पर कोई उल्लेख नही है। दिनांक 02.02.2016 को तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आदेशित किया गया था कि वे प्रश्नगत इस्तीफानामा के फर्जी होने के संबंध में किये गये अपने दावे के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, किंतु आवेदकों के तरफ से इस बिंदु पर

सं0 563

...का ...ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	कोई कार्रवाई नही की गई है। प्रश्नगत इस्तीफानामा एक निबंधित दस्तावेज है अथवा मात्र उसे फर्जी करार देने से उसकी वैधता समाप्त नहीं की जा सकती है। उक्त इस्तीफा के आधार पर जमीनदार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई यह स्पष्ट नही है, किंतु 1965 में जमीनदार द्वारा ही भूमि की बिक्री विपक्षियों के लिए कर दी गई। 1945 में इस्तीफा के पश्चात में 1965 में बिक्री की कार्रवाई की गई है। अतः यह निष्कर्श नही निकाला जा सकता है कि इस्तीफानामा एवं बिक्री एक मिलीभगत की कार्रवाई थी। विपक्षियों के तरफ से प्रश्नगत भूमि के नामांतरण रसीद निर्गत होने का दावा किया गया है किंतु ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है। प्रश्नगत् वाद में भू–वापसी का आवेदन 1992 में दिया गया है। 1965 के निबंधित केवाला के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है की प्रश्नगत भूमि लगातार जमीनदार के दखल में ही रही है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा मामले की विस्तृत सुनवाई की गई है, तथा साक्ष्य में दर्ज किये गये है। यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 1945 में खतियानी रैयत को इस्तीफा देने हेतु उपायुक्त से अनुमति लेने की आवश्कता नही थी। 1965 तक प्रश्नगत् भूमि जमीनदारों के वंशजों के पास ही रही है, जिसके पश्चात् उसकी बिक्री विपक्षियों को गई है। प्रश्नगत स्तीफानामा को अवैध घोषित करने के लिए अथवा उसे मान्यता नही देने के लिए राजस्व न्यायालय के समक्ष कोई आधार नही था। आवेदक के द्वारा भी इस आश्य का शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है कि जबकि उन्हें उस बिंदु पर निदेशित किया गया था। उल्लेखित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण 1945 में ही हो चुका था, जबकि भू–वापसी का आवेदन वर्ष 1992 में किया गया है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा विषय की विस्तृत समीक्षा कर आदेश पारित किये जा चुके है। पुनरीक्षण के क्रम में ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उन आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त। 6/1/2024 आयुक्त। 6/1/2024	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.24 11:12:44 +05:30
Location: 10.93.72.187